संख्याः 1419/VII-II-11/174–उद्योग/2006

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून. दिनांकः 16 जून, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहन करने हेतु पुरस्कार योजना में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः860/उ0नि0(दो)–13/बजट–मॉग/2011–12दिनांक 25.5.2011 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में उद्यमियों को प्रोत्साहन करने हेतु पुरस्कार योजनान्तर्गत कुल **रू0 6.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्ही मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर, बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, तथा प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2012 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2012 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में इंगित निर्देशानुसार किया जायेगा।

6– योजना की वर्तमान में लागू गाइडलाइन्स में निर्धारित मानकों के अनुसार ही उद्यमियों का चयन करते हुए पुरस्कार हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय किया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 800–अन्य व्यय, 06– उद्यमियों को प्रोत्साहन करने हेतु पुरस्कार योजना–00–, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1419/VII-II-11/174–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव।